रजिस्ट्री सं. डी. एल.–33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2008/ज्येष्ठ 12, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 65
No. 88] DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2008/JYAISTHA 12, 1930 [N.C.T.D. No. 65

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 2 जून, 2008

सं फा. 7(4)/2002-03/डी.एस.सी.एस.टी./एस.सी.पी./(i)/2705.—जबकि, सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का अधिनियम संख्यांक 46) का प्रकाशन भारत सरकार के गजट--असाधारण, दिनांक 5 जून, 1993 को हुआ था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 जनवरी, 1997 को उस तारीख के रूप में निश्चित किया गया, जिस तारीख से उक्त अधिनियम सभी संघशासित प्रदेशों एवं आन्ध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल राज्यों में लागू हुआ;

और, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत यह आवश्यक व उचित है कि दिनांक 2 अक्तूबर, 2008 से समस्त राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में किसी अन्य व्यक्ति से मानव मलमूत्र हाथ से उठवाना या नियोजित करना या लगाना तथा शुष्क शौचालय का सन्निर्माण व अनुरक्षण करना जन-स्वास्थ्य के संरक्षण व वातावरण के सुधार की दृष्टि से निषेध होगा;

अब, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 (1993 का अधिनियम संख्यांक 46) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (i), जोकि धारा 2 के खण्ड (एम) के साथ पढ़ा जायेगा, का अनुसरण करते हुए, सफाई कर्मचारियों आदि का नियोजन प्रतिषेध करते हैं और एतद्द्वारा, प्रभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ ऐसा करने की अपनी मंशा का नोटिस देते हैं । इस विषय में कोई भी आपत्ति/सुझाव/प्रतिवेदन/याचिका सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, द्वितीय मंजिल, 'बी' ब्लाक, विकास भवन, नई दिल्ली-110002 के पास अधिसूचना के 90 (नब्बे) दिनों के अन्दर दाखिल करायें ।

DEPARTMENT FOR THE WELFARE OF SC/ST/OBC/MINORITIES

NOTIFICATIONS

Delhi, the 2nd June, 2008

No. F. 7(4)/2002-03/DSCST/SCP/(i)/2705.—Whreas, the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (46 of 1993) was published in the Gazette of India Extraordinary, dated the 5th June, 1993;

And, whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the said Act, the Central Government *vide* its notification dated the 24th January, 1997, fixed the 26th day of January, 1997 as the date on which the said Act came into force in all the Union territories and in States of Andhra Pradesh, Goa, Karnataka, Maharashtra, Tripura and West Bangal;

And, whereas, the Government of National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary and expedient to prohibit under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, any engagement in or employment for or permission to be engaged in or employment for any other person for manually carrying human excreta or construction or maintenance of any dry latrines for the protection and improvement of the environment or public health in the whole area of National Capital Territory of Delhi, with effect from 2nd October, 2008;

Now, therefore, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, in pursuance of the provisions of clause (i) of sub-section (2) of Section 3 read with clause (m) of Section 2 of the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (46 of 1993) proposes to prohibit employment of manual scavengers etc. and notice is hereby given of his intention to do so for the information of persons likely to be effected thereby. Any objection/suggestion/representation/petition in this regard may be filed with the Secretary, Department for the Welfare of SCs/STs/OBCs/Minorities, Government of National Capital Territory of Delhi, IInd Floor, B-Block, Vikas Bhawan, New Delhi-110002 within 90 (Ninety) days of this notification.